सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 525 दर्ज तिथिः—21.07.2025

1. हबीबखान पुत्र बच्चखान
2. हयातखान पुत्र बच्चाखान
   जाति मुसलमान निवासी सड़ेचा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. माठीणाखान पुत्र सायबनाखान
   जाति मुसलमान निवाासी सड़ेचा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री ठाकराराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—05.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः—
   - कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का मूल खसरा संख्या 47 मौजा सड़ेचा में अवस्थित रहा है। तत्पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य सहखातेदारी का विभाजन के पश्चात प्रार्थी की खातेदारी का खसरा संख्या 47 तथा अप्रार्थी की खातेदारी का खसरा संख्या 47 / 1 कायम किया जाकर दर्ज रिकॉर्ड किया गया। परंतु प्रार्थी व अप्रार्थी की विभाजन पश्चात मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नही की गई। असल में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:17:13 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम की जानी थी। परंतु तरमीम गलत कर दी गई। जिससे मौके एवं रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।

- अतः परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम की जावे।

2. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी के अभिवचनों को स्वीकार करते हुए ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इस पर अप्रार्थी ने सहमति प्रदान की। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

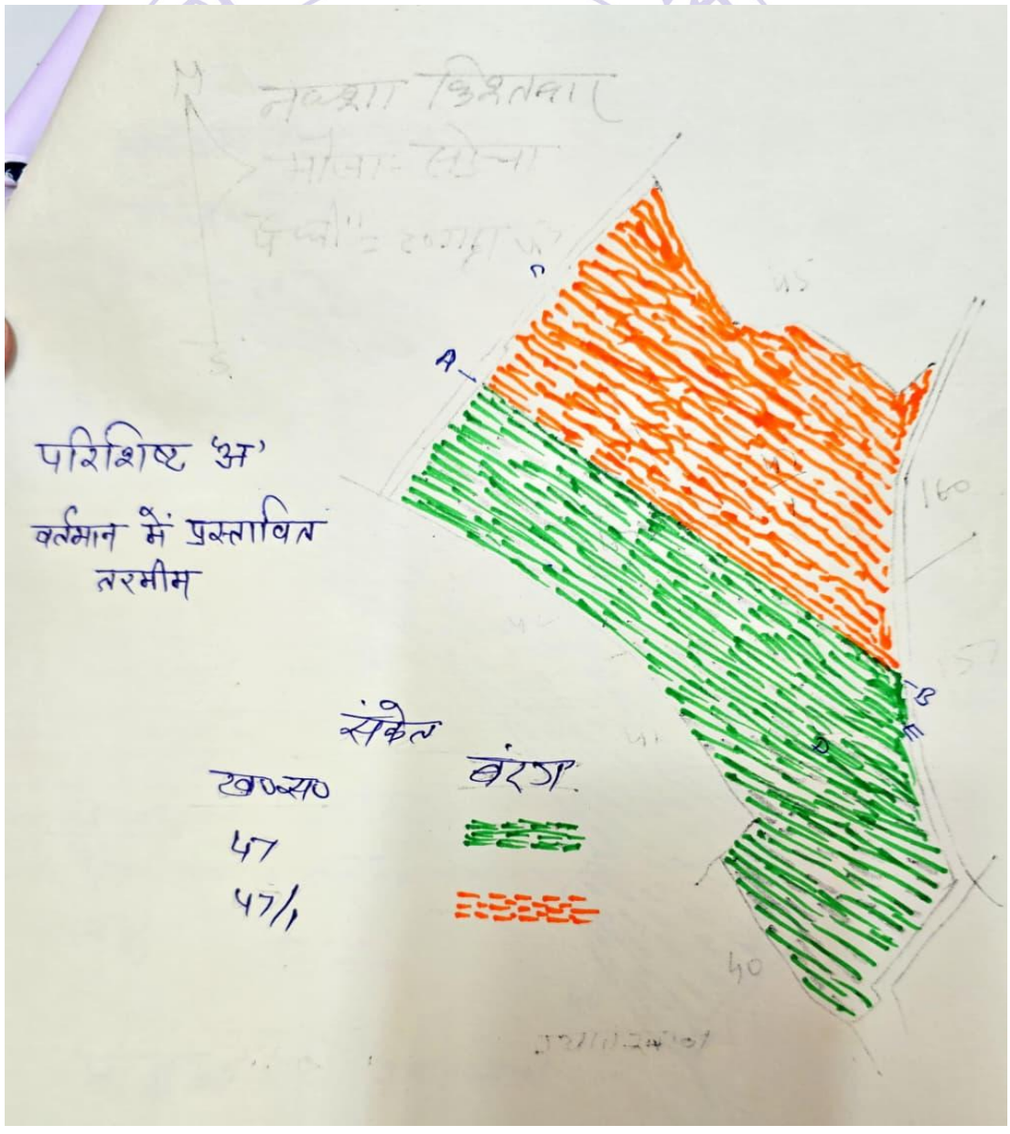

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:17:13 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड के नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

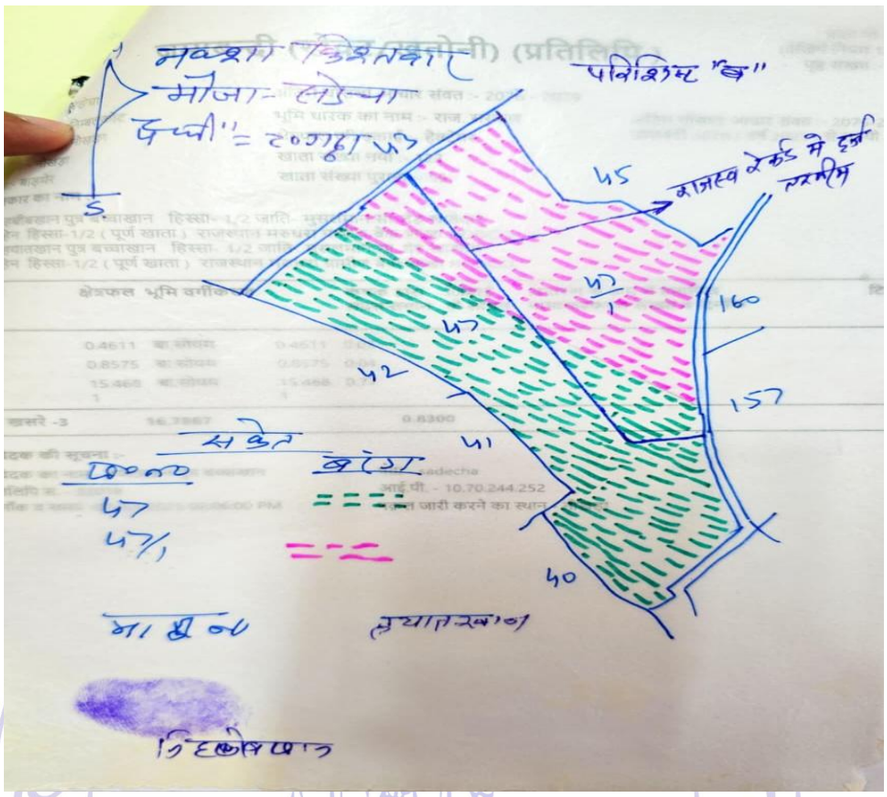

7. प्रकरण में प्रार्थी के अभिवचन पर अप्रार्थी द्वारा सहमति प्रदान की गई है। प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रकरण में केवल मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम की जानी है। उक्त तरमीम से प्रभावित पक्षकारान सहमत है। अतः परिशिष्ट 'अ' के नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर परिशिष्ट 'अ' के नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। परिशिष्ट 'अ' का नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:17:13 IST
Reason: SelfAttested